'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' लॉन्च

चर्चा में क्यों

19 जनवरी, 2023 को हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई 'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' पढ़ने से सड़क उपयोगकर्त्ता को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी और वह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकेगा।
- उन्होंने बताया कि वाहनों के चालानों से प्राप्त आय के 50 प्रतिशत राशि को सड़क सुरक्षा के लिये प्रयोग करने का प्रावधान 2018 में जारी नियमों में किया गया है। लीड एजेंसी/परिवहन विभाग के द्वारा संबंधित विभागों से इन नियमों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित योजनाएँ/स्कीमें मांगी जाती है।
- पिछले वर्ष 37 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्थानीय निकाय विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यो/स्कीमों हेतु वितरित किया गया है।
- नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि सड़क सुरक्षा विषय को और अधिक विस्तार बनाने और नए पहलूओं को लाने की ज़रूरत है। सड़क सुरक्षा परिषद् की पिछले महीने हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन राजमार्गो पर अवैध कट बनाए गए हैं, संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।
- इसी की पालना में सभी ज़िला परिवहन अधिकारियों को एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य राजमार्ग का चयन करके संबंधित विभागों से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।
- उन्हांने बताया कि विभिन्न सड़कों की स्पीड लिमिट निर्धारित करने के संबंध में आईआईटी, मद्रास के साथ करार किया गया है, जिसके तहत वे इस संबंध में राज्य का सर्वेक्षण करेंगे और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देंगे।
- इसके अतिरिक्त, राज्य में परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित आईरैड पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घनाओं और ब्लैक स्पॉट्स का पता चल सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाहन और सारथी पोर्टल द्वारा 22 फेसलैस सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिससे सेवा का अधिकार अधिनियम अनुसार ऑनलाईन आवेदन से तय समय पर सुविधाएँ दी जाएंगी।
- विदित है कि हरमन सिंह सिद्धु ने इस मैनुअल को तैयार किया है और इस मैनुअल की अंग्रेजी भाषा में 10,000 प्रतियाँ सीएसआर फंड से तैयार करने का कार्य मारूति कंपनी के कार्यकारी निदेशक राहुल भारती ने किया है।
- इसी तरह से हिन्दी भाषा में इस मैनुअल की 5,000 प्रतियाँ मारूति कंपनी तैयार करके देगी, जिसे रोड सेफटी नॉलेज सैंटर्स और ड्राईविंग स्कूलों/प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा।
- परिवहन आयुक्त यशेंद्रा सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है जिसमें सभी विभागों तथा जनता की भागीदारी अति आवश्यक है जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके लिये यह मैनुअल बहुत उपयोगी साबित होगा और इसको पढ़ने से ड्राइविंग सीखने वालों और लाईसेंन्स बनवाने वालों तथा आम जनता को सड़क सुरक्षा के बारे में नियमों की जानकारी मिलेगी और सड़क दुघर्टनाओं को कम किया जा सकेगा।
- इस अवसर पर हरमन सिंह सिधु ने बताया कि तत्कालीन परिवहन आयुक्त अमिताभ ढिल्लो के मार्गदर्शन में इस सड़क सुरक्षा मैनुअल को तैयार किया गया है।
- इस मैनुअल को चार भागों में बाँटा गया है, जिसमें भाग-1 में सड़क आघात व प्रमुख जोखिम कारक, भाग-2 में अपने वाहन को जानने जिसमें टायर, ब्रेंक, स्टेयरिंग, व्हील, रोशनी, विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर, हार्न, ब्लाइंड स्पॉट्स को जानना, सड़कों के नियम, सुरक्षित ड्राइविंग, अन्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं के प्रति विनम्र ड्राईविंग करना व सुरक्षित ड्राइविंग, भाग-3 में उचित दूरी पर गाड़ी चलाना, दूरियों का पालन करना, आपातकालीन वाहनों के बारे में, चौराहों पर यातायात सिग्नलों का पालन करते हुए ड्राईविंग करना, सिग्नल के प्रकार, मार्ग का अधिकार, संकेत देने, लेन बदलने, हाईवे ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, रेलवे क्रासिंग, विभिन्न परिस्थितियों में ड्राईविंग, गाड़ी रोकने, पार्क करने व सड़क चिन्हों तथा भाग-4 में आपातकालीन स्थिति और दुर्घटनाएँ, सड़क सांझा करना, दुर्घटना पीड़ित की मदद करना, गुड समारटियन की मदद करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी और कानून इत्यादि के बारे में बताया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-road-safety-manual-launched